जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,बुरहानपुर

क्र./ /खनिज/DEIAA /2016/3409 बुरहानपुर, दिनांक 30/05/2016

//कार्यवाही विवरण//

आज दिनांक 27.05.2016 को अध्यक्ष डिया (DEIAA) की अध्यक्षता में वनमंडलाअधिकारी के प्रतिनिधि श्री कोड़ापे एवं सदस्य सचिव डिया (DEIAA) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की उपस्थिति में सिया से प्राप्त प्रकरणों एवं तीन डिया में प्राप्त आवेदनो की डेक (DEAC) द्वारा अनुशंसा सहित प्रेषित प्रकरणों के निराकरण हेतु बैठक का आयोजन रखा गया।

सभी प्रकरणों की सिया के ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक 03.08.2015 एवं भारत के राजपत्र दिनांक 15.01.2016 एवं 20.01.2016 में दिए गए प्रावधानों के तहत समीक्षा की गई। श्री रामसिंह ठाकुर, श्री प्रवीण शहाणें, श्री इरफान बक्ष के प्रकरणों में स्वीकृत क्षेत्र से अतराज्यीय सीमा क्रमशः 7 कि.मी., 7 कि.मी., 8 कि.मी. पाई गई । कैलाश नेरकरं के प्रकरण में 250 मी. दूरी पर ताप्ती नदी होना पाई गई है, म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के तहत नदी से 100 मी. दूरी के प्रावधान है। सभी प्रकरणों में स्वप्रमाणित आवेदन तथा खदान स्वीकृति आदेश पाए गए। श्री इरफान पिता इरशाद बक्ष, श्री प्रवीण सहाणें, श्री रामसिंग ठाकूर, श्रीमति श्रद्धा पति श्री शुसांत सिंह के दो प्रकरणों में आवश्यक पूर्ति पी.पी. से कराए जाने का निर्णय लिया गया। चर्चा में बताया गया कि श्री रामसिह ठाकुर एवं श्री प्रवीण शहाणे की खदान निर्माणाधिन आयुवैदिक कॉलेज के पास है। अतः कॉलेज से दोनो खदानो की दूरी नापी जाकर अगली डिया की बैठक प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

इसके अलावा सभी प्रकरणों की समीक्षा में स्वीकृत क्षेत्र से 500 मीटर की परिधि में कोई भी ऐसे प्रकरण नही पाए गए जिनका की कुल क्षेत्रफल 25.00 हे. हो। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक आवेदक अपने स्वीकृत क्षेत्र के साथ-साथ संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित की गई भूमि में प्रति हेक्टे. 100 वृक्षो का वृक्षारोपण करेगे तथा समस्त आवेदक पर्यावरण को नुकसान ना हो इस हेतु समस्त वैद्यानिक उपाय करेगे।

उपरोक्तानुसार निर्णयो एवं परीक्षण उपरांत स.क. 1,2,3,5,6,8,10, 11 कुल आठ आवेदनो को राजपत्र दिनांक 15.01.2016 एवं 20.01.2016 मे विहित प्रावधानों एवं सिया की गाईडलाइन के तहत पर्यावरणीय अनुमति दिये जाने तथा स.क. 4,7,9,12,13 कुल पांच आवेदनो में पाई गई कमियो की पूर्ति P.P (प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट) से कराकर अगले सिया कि बैठक में विचार हेतु रखे जाने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया जाता है।

अध्यक्ष
डिया(DEIAA)
जिला–बुरहानपुर

पृ.क./ /खनिज/DEIAA /2016 /3410 बुरहानपुर, दिनांक 30/05/2016
प्रतिलिपि :–

1. सदस्य सचिव, ''सिया'' (SEIAA) पर्यावरण परिसर, ई–5 अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म0प्र0)
2. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर की ओर सूचनार्थ।
4. वनमंडलाधिकारी (सदस्य), सामान्य वन मंडल, बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ।
5. श्रीमति हंशा दुम्बवानी (विशेषज्ञ सदस्य) MIG. C/5 सुन्दर नगर, बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ
6. अनुविभागीय अधिकारी, (सदस्य सचिव), जिला–बुरहानपुर की ओर सर्वसंबधितो को पर्यावरणीय स्वीकृति आदेश जारी करने तथा आवेदको को सूचित करने हेतु पालनार्थ।
7. अध्यक्ष, डेक बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ ।
8. सदस्य सचिव, डेक, बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ ।
9. प्रभारी अधिकारी, NIC, बुरहानपुर को पब्लिक डोमेन में प्रदर्शित करने हेतु।
10. जनसंपर्क अधिकारी, बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ।

अध्यक्ष
डिया(DEIAA)
जिला–बुरहानपुर